न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या एल.आर/90–B /2017/00132/ब्यावर

1. श्रीमति पतासी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री पूनमचंद पुत्रवधु श्री तेजा.
2. श्री अमरचंद पुत्र स्वर्गीय श्री पूनमचंद पौत्र श्री तेजा,
3. श्री कानाराम पुत्र स्वर्गीय श्री पूनमचंद पौत्र श्री तेजा. जाति रेगर, निवासीगण छोटा बास, रेगरान मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल–जिला ब्यावर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. नगर परिषद जरिये आयुक्त नगर परिषद ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
2. प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
3. श्री कैलाश पुत्र श्री मोहन लाल जाति रेगर, निवासी– छोटा बास रेगरान मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
4. श्री दिनेश पुत्र श्री मोहन लाल लाल, जाति रेगर, निवासी– छोटा बास, रेगरान मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
5. श्रीमति तारा पत्नी स्वर्गीय श्री मोहन लाल, जाति रेगर, निवासी–छोटा बास, रेगरान मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
6. श्री पूनमचंद पुत्र श्री रामलाल, जाति रेगर, निवासी– उदयपुर चुंगी नाका बाईपास ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
7. श्रीमति कमला पत्नी श्री गोमा राम, जाति रेगर, निवासी–उदयपुर चुंगी नाका बाईपास ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।
8. श्री पेमा राम पुत्र श्री नारायण लाल जाति रेगर, निवासी– छोटा बास, रेगरान मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल जिला ब्यावर।

———प्रत्यर्थीगण

9. श्रीमति मैना देवी पुत्री श्री पूनमचंद पत्नी श्री सोहन लाल, जाति रेगर, निवासी लामाना, तहसील पीसांगन जिला अजमेर ।

———तरतीबी प्रत्यर्थीगण

संभागीय आयुक्त
अजमेर

———

अपील अन्तर्गत धारा 90–बी (7) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,
ब्यावर दिनांक 02–01–2002

———

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित– श्री निर्मल कुमार जैन, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री एस.के.सेठी अभिभाषक, प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2
श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 3, 4 व 5

निर्णय

दिनांकः– 16–12–2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी उपधारा (3) सपठित धरा 63(17) उपखण्ड II राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 47 तथा धारा 151, 152 के तहत नगर परिषद, ब्यावर क्षैत्र में 90 बी के तहत नगर परिषद ब्यावर क्षैत्र एवं पेराफेरी क्षेत्र की ऐसी समस्त कृषि भूमियां जो गैर कृषि प्रयोजनार्थ या तो काम में ली गई थी या जिन पर प्लॉट काटे गए जिनका सर्वे कर तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर ने अपने आदेश दिनांक 02–01–2002 द्वारा 90 बी कर तहसीलदार, ब्यावर को नगर परिषद्, ब्यावर के नाम करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि कि अपीलार्थी श्री अमरचंद के द्वारा अपीलाधीन भूमि की जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील कार्यालय से दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त करने पर अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को यह जानकारी हुई कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में दिनांक 2.1.2002 को पारित किया कि इस पर अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त हेतु अधीनस्थ अधिकारी जी के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 19.4.2017 को प्रस्तुत किया गया कि जिस पर अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.04.2017 को प्राप्त हुई तत्पश्चात अपीलार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अन्य दस्तावेजात एकत्रित किये एवं अपीलाधीन निर्णय के संदर्भ मे अधिवक्ता से परामर्श किया, इस प्रकार अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.4.2017 को होने पर आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 19.04.2017 को प्राप्त हुई के अनुसार बिना विलम्ब के जानकारी दिनांक से अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

संभागीय आयुक्त अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थीगण ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नम्बर 592 एवं 593 कि जिसमे 1/2 हिस्सा की भूमि आवेदनकर्तागण को विरासत में प्राप्त हुई है, विवादित भूमि पर भौतिक रूप से काबिज है एवं काश्त की जाती रही है, अपीलाधीन भूमि के संदर्भ मे अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.1.2002 से पूर्व अपीलार्थीगण के पति एवं पिता को कोई सूचना ही नहीं दी गई. अपीलाधीन भूमि में अपीलार्थीगण के हित निहित है इस कारण अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाने हेतु अनुमति के लिए अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया है। इस प्रकार एकपक्षीय विधिविरूद्ध आदेश दिनांक 02–01–2002 से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थीगण को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त तर्को से अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलार्थीगण की उक्त प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं थे। विवादित भूमि प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा तत्समय आदेश दिनांक 02–01–2002 द्वारा जरिये 90 बी नगर परिषद, ब्यावर को हस्तांतरित की जा चुकी है। वर्तमान में विवादित भूमि नगर परिषद् के आधिपत्य एवं कब्जे में है। अपीलार्थीगण का विवादित आराजियात पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण का धारा 96 जा0दी0. का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थीगण का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि खसरा नंबर 592 रकबा 2–17–0 बारानी 3 एवं खसरा नंबर 593 रकबा 4–0–0 बारानी 3 ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का रोदरिया गिरदावर हल्का फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित है जिसके 1/2 हिस्से के सहहिस्सेदार खातेदार अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट के पति व पिता श्री पूनमचंद पुत्र श्री तेजा जिनका स्वर्गवास हो चुका है, 1/2 हिस्से की भूमि अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को विरासत में प्राप्त हुई है, विवादित भूमि पर खातेदार काबिज है. तथा 1/2 हिस्सा के सहहिस्सेदार खातेदार श्री मोहन लाल पुत्र श्री तेजा थे कि जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 3, से 5 है इस प्रकार 1/2 हिस्से के सहहिस्सेदार खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 है. अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 एवं श्री पूनमचंद पुत्र श्री तेजा जिनका स्वर्गवास हो चुका है के द्वारा उनके जीवन काल में उनके 1/2 हिस्से की भूमि को कभी किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण ही नही की गई तथा श्री पूनमचंद पुत्र श्री तेजा के जीवन काल में उन्ही के द्वारा 1/2 हिस्से की भूमि को काश्त की जाती रही तथा इनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के द्वारा ही आज दिवस तक मौके पर काश्त की जाती रही है. कृषि भूमि है, स्वर्गीय श्री पूनमचंद पुत्र श्री तेजा एवं अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट सख्या 9 के द्वारा उनके 1/2 हिस्से की भूमि पर कोई कृषि से अकृषि. कार्य ही नहीं किया गया बल्कि कृषि भूमि है एवं काश्त की जाती रही है परन्तु अधीनस्थ अधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा श्री पूनमचंद पुत्र श्री तेजा जिनका स्वर्गवास वर्ष 2014 में हो गया था को एवं अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व कोई सूचना नोटिस एवं सुनवाई का अवसर ही नही दिया गया तथा अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की अपीलाधीन भूमि जो कृषि भूमि को अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02–01–2002 द्वारा नगर परिषद्, ब्यावर के नाम हस्तांतरित करने के आदेश पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण के द्वारा धारित 1/2 हिस्से की भूमि जो कृषि भूमि है एवं कृषि ही की जाती रही है इस कारण न्याय नियम एवं विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल तथा प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ख के प्रावधानो के विपरित पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भू राजस्व अधिनियम की धारा 90–ख के अन्तर्गत निर्णय पारित किये जाने का अधिकार ही नहीं था इस कारण अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के 1/2 हिस्से की भूमि तक अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन भूमि कि जिसमे 1/2 हिस्से के सहहिस्सेदार श्री मोहन लाल पत्र तेजा के द्वारा उनके जीवन काल में प्लाट बनाकर अन्य को बेचान किये गये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के द्वारा भी भूखण्डो के रूप में अन्य को बेचान किये गये ऐसी अवस्था में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को मात्र अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 592 व 593 के 1/2 हिस्से की भूमि तक ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिए था जब कि अपीलाधीन भूमि कि जिसका अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 एवं मोहन लाल के मध्य ही वाहमी सहमति से बंटवारा किया जा चुका था तथा अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 उनके 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं काश्त की जाती रही है। विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार श्री मोहन लाल पुत्र श्री तेजा जिनका स्वर्गवास दिनांक 2–06–1997 को हो चुका था। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्ध पारित किया गया जो विधि के प्रावधानों के अनुसार मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण के पिता श्री पूनमचन्द पुत्र श्री तेजा जिनका स्वर्गवास सन् 2014 में हुआ था जिन्हें भी प्राधिकृत अधिकारी प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई सूचना नोटिस नहीं दिया एवं अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस सन्दर्भ में किसी प्रकार का प्रकाशन ही करवाया गया एवं आपत्तियों की मांग भी नहीं की गई जब कि विधि अनुसार खातेदारों को विधिवत अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार बनाया जाकर उन्हें नोटिस जारी कर सूचना दी जाकर आपत्तियों की मांग की जानी चाहिए थी तथा समाचार पत्र में प्रकाशन भी करवाया जाना चाहिए था तथा अपीलार्थी की भूमि की भौतिक मौके की जांच रिपोर्ट भी तलब की जानी चाहिए थी। परन्तु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 कि जिनका अपीलाधीन भूमि मे 1/2 हिस्सा जो विरासत में प्राप्त हुई कि जिसके कानूनी खातेदार है एवं अपील के उपरोक्त पेरा मे उल्लेखितानुसार श्री पूनमचंद एवं मोहन लाल के मध्य ही आपसी वाहमी सहमति से बंटवारा हो चुका था तथा श्री पूनमचंद एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 उनके 1/2 हिस्से की भूमि जो वाहमी बंटवारे से प्राप्त हुई कि जिस पर काश्त की जाती रही है तथा कृषि से अकृषि के संदर्भ में कोई कार्य ही नहीं किया गया परन्तु प्राधिकृत अधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय जो पारित किया गया विधि संगत नहीं है, अधीनस्थ अधिकारी जी के क्षेत्राधिकार में ही नही था जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–01–2002 को खसरा नम्बर 592 एवं 593 की भूमि के 1/2 हिस्से जो अपीलार्थीगण के द्वारा धारित है निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी उपधारा (3) सपठित धरा 63(17) उपखण्ड II राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 47 तथा धारा 151, 152 के तहत नगर परिषद, ब्यावर क्षैत्र में 90 बी के तहत नगर परिषद् ब्यावर क्षैत्र एवं पेराफेरी क्षेत्र की ऐसी समस्त कृषि भूमियां जो गैर कृषि प्रयोजनार्थ या तो काम में ली गई थी या जिन पर प्लॉट काटे गए जिनका सर्वे कर तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर ने अपने आदेश दिनांक 02–01–2002 द्वारा 90 बी कर तहसीलदार, ब्यावर को नगर परिषद्, ब्यावर के नाम करने के आदेश पारित कर दिये। तत्पश्चात प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खातेदारों से आपत्तियां प्राप्त कर उनका निस्तारण भी किया गया है। प्राधकृत अधिकारी द्वारा समस्त भूमियों को राज्यहित में पर्यावर्सन कर सिवायचक (नगर परिषद) ब्यावर के नाम अंकित करने का निर्णय लिया है जो विधिसम्मत है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–01–2002 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थीगण ने अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी(7) के तहत दिनांक 12–5–2015 को प्रस्तुत की है। जबकि राज्य सरकार ने 2012 का विधेयक संख्या 13 राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक 2012 पारित कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी को हटाकर उसके स्थान पर 90–ए नई धारा प्रतिस्थापित कर दी। इस प्रकार धारा 90–बी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। धारा 90–बी(7) के तहत जो अपील लम्बित है उसके बारे में संशोधित अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील लगभग 15 साल विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब का कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। प्राधकृत अधिकारी द्वारा समस्त भूमियों को राज्यहित में पर्यावर्सन कर सिवायचक (नगर परिषद) ब्यावर के नाम अंकित करने का निर्णय लिया है जो विधिसम्मत है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–01–2002 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर पत्रावली में उपलब्ध संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट होते है कि प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी उपधारा (3) सपठित धारा 63(17) उपखण्ड II राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 47 तथा धारा 151, 152 के तहत नगर परिषद, ब्यावर क्षैत्र में 90 बी के तहत नगर परिषद ब्यावर क्षैत्र एवं पेराफेरी क्षेत्र की ऐसी समस्त कृषि भूमियां जो गैर कृषि प्रयोजनार्थ

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर
संभागीय आयुक्त अजमेर
Scanned with OKEN Scanner

या तो काम में ली गई थी या जिन पर प्लॉट काटे गए जिनका सर्वे कर तहसीलदार ब्यावर की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर ने अपने आदेश दिनांक 02–01–2002 द्वारा 90 बी कर तहसीलदार, ब्यावर को नगर परिषद्, ब्यावर के नाम करने के आदेश पारित कर दिये। विवादित भूमि नगर परिषद्, ब्यावर के आधिपत्य व कब्जे में है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर ने समाचार पत्र में प्रकाशन के पश्चात विभिन्न खातेदारों से प्राप्त आपत्तियों का विधिअनुसार निस्तारण कर आदेश दिनांक 25–1–2002 पारित कर नगर परिषद्, ब्यावर के नाम दर्ज भूमि को निरस्त कर जमाबंदी में अंकन खातेदारों के नाम यथावत रखा गया है। अपीलार्थीण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर के समक्ष तत्समय आपत्ति प्रस्तुत कर उसका निस्तारण नहीं कराया गया। प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा तत्समय पूर्णविधिक प्रकिया अपनाकर तहसीलदार, ब्यावर से रिपोर्ट प्राप्त कर आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। चूंकि अब वर्तमान में राज्य सरकार ने 2012 का विधेयक संख्या 13 राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक 2012 पारित कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी को हटाकर उसके स्थान पर 90–ए नई धारा प्रतिस्थापित कर दी। उक्त प्रकरण में अपील सफल नहीं होने का कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण अपीलार्थी को इस अपील में कोई लाभ देय नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलटर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–01–2002 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–01–2002 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with OKEN Scanner